(e) what are the details of the offers received so far from the property owners; and

(f) by when the final decision is likely to be taken?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH CHATOWAR): (a) No, Sir. However, it has been decided to open two Sub-Accounts offices under the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi.

(b) Trans Jamuna and Janakpuri.

(c) The number of Sub-Accounts offices to be opened and their location are determined on the basis of the needs of the subscribers.

(d) Yes, Sir.

(e) and (f) According to available information, 12 offers have been received from the property owners in respect of Trans-Yamuna area and 44 in respect of Janakpuri area. The offers are under scrutiny an a final decision is likely to be taken shortly.

Recognition of professional workers Trade Union Centre of India

4777. SHRI ASHIS SEN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a Central Trade Union styled as 'Professional Workers Trade Union Centre of India (PWTUC)' has been formed by managerial and supervisory employees' unions in Banking, Insurance, Fertiliser, Telecom, Engineering and several other industries;

(b) whether any representation has been made by PWTUC to Government for recognition and inclusion of the Union in Indian Labour Conference and in other Consultative Forums; and

(c) if so, what action Government have taken or purpose to take in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): (a) and (b) Yes.

(c) Only Central Trade Union Organisations are considered for the purpose of representation of workers in the Indian Labour Conference and other Consultative Forums. As the 'Professional Workers Trade Union Centre of India' has been formed by the unions of the managerial and supervisory employees who are not 'workmen' the question of their representation in the Indian Labour Conference and other Consultative Forums of the Ministry of Labour does not arise.

खान दुर्घटनाओं में मारे गए श्रमिकों के परिवारों को मुआवजा

4778. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान खान दुर्घटनाओं में कितने श्रमिक मारे गए ;

(ख) मृतकों के परिवारों को मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम संसदीय कार्य में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर): (क) से (ग) खान सुरक्षा महानिदेशालय के पास उपलब्ध अंनतिम आंकड़ों के अनुसार, 1991-92 के दौरान खान दुर्घटनाओं में 282 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी । मारे गए व्यक्ति के निकट संबंधी को प्रबंधन द्वारा मुआवजे के भुगतान को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा शासित किए जाने वाले कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत विनियमित

किया जाता है । इन पहलुओं से संबंधित सूचना श्रम मंत्रालय में नहीं रखी जाती ।

खान अधिनियम, 1952 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों में खानों में नियोजित कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए उपबंध शामिल हैं । खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी खान सुरक्षा के संबंध में सांविधिक उपबंधों का प्रवर्तन करने के उद्देश्य से खानों का समय-समय पर निरीक्षण करते हैं और खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ उक्त खान अधिनियम के अंतर्गत समुचित कार्रवाई करते हैं । खान सुरक्षा महानिदेशक सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए खान प्रबंधनों को समय-समय पर परिपत्रों द्वारा दिशा निर्देश भी जारी करते हैं ।

असंगठित खेतिहर मजदूरों के लिए योजना

4779. **श्री विनोद शर्मा :**
श्री राजूभाई ए. परमार:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जुलाई, 1992 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में "ग्रोइंग इम्पोरटैन्स आफ फार्म वर्कर्स" शीर्षक के अंतर्गत समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में बड़े पैमाने पर असंगठित खेतिहर मजदूरों को अनेक मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों के अधीन असंगठित किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो मार्च, 1992 तक देश में कुल कितने खेतिहर मजदूर इन श्रमिक संघों द्वारा संगठित किए गए हैं ;

(घ) क्या मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन असंगठित मजदूरों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना तैयार की है, ताकि वे अपने आपको संगठित कर सकें तथा अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास कर सकें ; और

(ङ.) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Commission for Agricultural Labour

4780. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to set up a separate commission for agricultural labourers; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): (a) and (b) No, Sir. In view of the fact that National Commission on Rural Labour, set up in August, 1987, submitted its report in July, 1991 the appointment of another commission is not considered necessary.

ILO's advice to check labour risk

4781. SHRI MOHINDER SINGH LATHER: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a team of the International Labour Organisation has advised to formulate comprehensive scheme to check labour risks in India;

(b) if so, the details of the suggestions made by the International Labour Organisation in this rgeard; and